(6)

150

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर
(कैम्प कोर्ट रीवा)

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

राजस्व मण्डल 1171 आवक क्र. दिनांक 5-5-12 मध्यप्रदेश ग्वालियर

रामचन्द्र त्रिपाठी तनय रामनाथ त्रिपाठी उम्र 85 वर्ष, निवासी ग्राम–बाल्हा, तहसील–विरसिंहपुर, जिला–सतना म0प्र0

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

R-1378-I/12

बनाम्

1– श्री राम त्रिपाठी तनय बृजकिशोर त्रिपाठी निवासी ग्राम–बाल्हा, तहसील–विरसिंहपुर, जिला–सतना म0प्र0

2– स्टेट आफ म0प्र0

-------- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दि. दिनांक 25.4.2012

25.4.12

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार साहब तहसील विरसिंहपुर, वृत्त जैतवारा, द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 09–01–12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–12 विधि प्रकिया एवं प्रकरण में आये तथ्योंके विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2– यह कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा भूमि नम्बर 176/1 रकवा 2.01ए0 स्थित ग्राम–रुइया, तहसील–विरसिंहपुर, जिला–सतना के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 1378–एक/2012 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
25-2-19	प्रकरण में दिनांक 14–3–18 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के अंतिम तर्क सुने जा चुके हैं किन्तु प्रकरण न्यायालय के अन्य प्रकरण में बॅध जाने के कारण भूलवश समय रहते आदेश हेतु प्रस्तुत नहीं हो सका। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी नायव तहसीलदार सिरसिंहपुर वृत्त जैतवारा जिला सता के प्र.क्र. 17 अ–12/10–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनॉक 9–1–12 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई–योग्य नही रही है, क्योंकि नायव तहसीलदार व्दारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 129 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	